कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर

क्रमांकःप.12/12/54/राजस्व/2015/3107 दिनांक 2.11.2018

<u>बैठक कार्यवाही विवरण</u>

आज दिनांक 2.11.2018 को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र कमांक/11–9/98–एफ सी दिनांक 3.8.2009 में दिये निर्देशानुसार जिला धौलपुर में सोने का गुर्जा सड़क से इन्दौरा गांव (4.27 हैक्टे.), सोने का गुर्जा सड़क से उवासा गांव(1.44 हैक्टे.) सरमथुरा झिरी सड़क कि.मी. 9 से मल्लापुरा गांव 1.08 हैक्टे.), सरमथुरा झिरी सड़क किलोमीटर 18 से गिरौनिया गांव (1.26 हैक्टे.), धौंध से खिदरपुर गांव (0.9 हैक्टे.), खरौली से अमानपुरा गांव (2.70 हैक्टे.) वन भूमि होने से उक्त भू भाग के लिए प्रत्यावर्तन(Diversion) हेतु प्रस्तावित किये जाने के सम्बन्ध में जिला स्तरीय वन अधिकार समिति धौलपुर की बैठक आयोजित कर चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि उक्त वन क्षेत्र में कुल 13 हैक्टेयर भूमि प्रत्यावर्तन (Diversion) की जानी प्रस्तावित है, इसमें किसी भी प्रकार के वनाधिकार पत्र नहीं होने व वनाधिकार की कोई कार्यवाही लम्बित नहीं होने से किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

जिला स्तरीय समिति द्वारा सोने का गुर्जा सड़क से इन्दौरा गांव (4.2703 हैक्टे.) के लिये , मदनपुर वन क्षेत्र (4.2703 हैक्टेयर) सोने का गुर्जा सड़क से उवासा गांव(1.44 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र वाइल्ड लाइफ रामसागर सेंचुरी (1.44 हैक्टेयर), सरमथुरा झिरी सड़क कि. मी. 9 से मल्लापुरा गांव 1.08 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र रीझोनी (1.08 हैक्टेयर), सरमथुरा झिरी सड़क किलोमीटर 18 से गिरौनिया गांव (1.26 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र गिरौनिया (1.26 हैक्टेयर), धौंध से खिदरपुर गांव (0.9 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र मदनपुर (0.90 हैक्टेयर), खरौली से अमानपुरा गांव (2.70 हैक्टे.) के लिए वन क्षेत्र रीझोनी (2.70 हैक्टेयर) कुल 13 हैक्टेयर भू भाग के लिए वनाधिकार अधिनियम की दृष्टि से प्रत्यावर्तन (Diversion) किये जाने की अनुशंषा की जाती है । निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र तथा बिला नाम भूमि आरक्षित किये जाने का आदेश पृथक से जारी किया जावे

2.11.18

उपवन संरक्षक
धौलपुर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद धौलपुर

2-11-2018

जिला कलक्टर
धौलपुर

2/11

अधीक्षण अभियन्ता
सा0नि0विभाग धौलपुर

2/11/18

अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0विभाग बाडी

अधिशाषी अभियन्ता
सा0नि0वि0 राजाखेडा

2/11/18

उपवन संरक्षक (वन्य जीव)
राष्ट्रीय चम्बल घडियाल अभ्यारण
सवाई माधोपुर

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर (राजस्थान)

क्रमांक प012 / 12 / 54 / राजस्व / 2015 / 1053 दिनांक / नवम्बर 2018

1. श्रीमान उपवन संरक्षक धौलपुर
2. श्रीमान उपवन संरक्षक सवाई माधोपुर
3. श्रीमान मुख्य कार्यकारी जिला परिषद धौलपुर
4. अधीक्षण अभियन्ता सा0 नि0 वि0 धौलपुर
5. अधिशाषी अभियन्ता सा0नि0वि0 बाडी / राजाखेडा

विषय: बैठक की सूचन बावत् ।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत श्रीमान जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार निवेदन है कि सड़क निर्माण हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में जिला कलक्टर महोदय के अध्यक्षता में दिनांक 2.11.2018 को दोपहर 4.00 बजे बैठक आयोजित की गई है । अतः आप नियत दिनांव एवं समय पर बैठक में उपस्थित होने का श्रम करें ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
धौलपुर

कार्यालय जिला कलक्टर धौलपुर

कमांक :–प.12/12/(54)राजस्व/2015/ 2032-40 दिनांक :– 3/10/18

आदेश

अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड बाड़ी द्वारा निवेदन किया गया है कि सोने का गुर्जा सड़क से इन्दौरा गांव (4.2003 हैक्टेयर), सोने का गुर्जा सड़क से उवासा गांव (1.44 हैक्टेयर), सरमथुरा झिरी सड़क कि.मी. 9 से मल्लापुरा गांव (1.08 हैक्टेयर), सरमथुरा झिरी सड़क कि.मी. 18 से गिरौनिया गांव (1.26 हैक्टेयर), धौंध से खिदरपुर गांव (0.9 हैक्टेयर), खरौली से अमानपुरा गांव (2.70 हैक्टेयर) एवं अधिशाषी अभियंता सा.नि.वि. खण्ड राजाखेड़ा की सड़क भूराखेड़ा से घेर गांव तक (1.35 हैक्टेयर) कुल 13 हैक्टेयर वन भूमि में सड़क निर्माण होने के कारण वन विभाग को अन्यत्र राजकीय बिलानाम भूमि उपलब्ध करवाई जावें। प्रकरण मे उपखण्डाधिकारी बाड़ी, से वन विभाग को भूमि उपलब्ध करवाई जाने के लियें राजकीय बिलानाम भूमि का चयन कर प्रस्ताव प्राप्त किया गया उपखण्डाधिकारी बाड़ी ने ग्राम गुढामुतावली के सिवायचक तहसील बाड़ी की राजकीय बिलानाम खसरा नं0 971/2 रकवा 956.05 मे से 51.07 बीघा (13 हैक्टेयर) भूमि वन विभाग को दी जाने के लिए प्रस्ताव अभिषंशा से साथ प्रेषित किया। उपवन सरंक्षक धौलपुर ने उक्त प्रस्तावित भूमियां वनखण्ड से लगी होना तथा प्रबंधन/सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त होने से वनविभाग को दी जाने के लिए सहमति दी है।

अतः उपखण्डाधिकारी बाड़ी की अभिषंशा एवं उपवन सरंक्षक धौलपुर की सहमति के अनुसार ग्राम गुढामुतावली तहसील बाड़ी की राजकीय बिलानाम खसरा नं0 971/2 रकवा 956.05 मे से 51.07 बीघा (13 हैक्टेयर) भूमि को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 के अतंर्गत वन विभाग राजस्थान सरकार के पक्ष में आरक्षित (सेटअपार्ट) की जाती है। तहसीलदार बाड़ी राजस्व रिकॉर्ड में अंकन के साथ–साथ नक्शे में आवश्यक तरमीम करें।

(जिला कलक्टर)
धौलपुर

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. उपखण्डाधिकारी, बाड़ी।
2. उपवन सरंक्षक, धौलपुर।
3. अधीक्षण अभियंता सा.नि.वि. वृत धौलपुर।
4. तहसीलदार बाड़ी।
5. आदेश पंजिका।

(जिला कलक्टर)
धौलपर